न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–100/2019

निर्णय दिनांकः–26.06.2020

उनवान

श्री श्री 1008 स्वामी श्री बालकानन्द जी महाराज चेल श्री 1008 श्री सेवानन्द जी महाराज निवासी आश्रम हरभांवता तहसील निवाई

–प्रार्थी/आवेदक

बनाम

तहसीलदार निवाई

–अनावेदक

दावा बाबत तरमीम शीट

उपस्थितः– प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी ख0न0 320/12 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम जगतपुरा, पटवार हल्का छोरिया तहसील निवाई में वादी के खातेदारी कब्जे काश्त में राजस्व मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की भूमि का खेत नहीं बन रखा है जिससे वादी को आये दिन कई बार परेशानियो का सामना करना पडता है उक्त भूमि मे आश्रम चबुतरा बना हुआ है मौके पर तारबन्दी हो रखी है परन्तु राजस्व शीट में तरमीम नहीं होने से कई परेशानियो का सामना करना पड सकता है इस कारण उक्त वर्णित भूमि की मौके एवं कब्जे अनुसार राजस्व शीट में तरमीम मौका कब्जा के आधार तरमीम करने के आदेश पारित फरमावें।

उक्त पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे तहसीलदार ने उल्लेखित किया है कि आराजी ख0न0 320/12 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम जगतपुरा, पटवार हल्का छोरिया तहसील निवाई में स्थित है। ग्राम जगतपुरा के ख.न. 320 का कुल रकबा 440.15 बींघा था जिसमें आवंटन होने से वर्तमान मे सिवायचक ख.न. 320/1 रकबा 66.11 बीघा, खसरा नम्बर 320/27 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 71.11 बीघा चरागाह ख.न. 320/39 रकबा 87.04. बीघा शेष में 42 खातेदारो के रकबा 282.05 बीघा भूमि रिकार्ड दर्ज है। पटवारी हल्का छोरिया के पास चालू उपलब्ध लट्टा शीट बन्दोबस्त भू. सुधार की है जिसमें तरमीम हो रखी है जो अस्पष्ट है।

वादी ने उक्त ख.न. तन्नूमल अर्जुनलाल / मेघामल वगैरह से कय किया है जो नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 05.10.2017 से वादी के नाम आयी है, तन्नूमल वगैरह के पिता मेघामल पुत्र मोटुराम सिन्धी के ख0न0 320 में 5 बीघा भूमि मि.न. 453 दिनांक 30.06. 68 से आवंटन हुई थी तथा लगभग 13 वर्ष बाद नामान्तकरण संख्या 182 से ख0न0 320/1/1 मी. रकबा 5 बीघा दर्ज किये गये जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.08.1981

Scanned with CamScanner

को स्वीकृत किया गया था, मौके पर जॉच में उक्त आवंटी या उसके वारिसान का सुपुर्दगीनामे अनुसार या वर्तमान खातेदार के कब्जा अनुसार कभी कोई कब्जा काश्त नहीं करना बताया है, ख.न. 320/1/1 जरिये नामान्तकरण संख्या 392 से 320/12 हुआ है एवं उक्त ख.न. के पूर्व आवंटी के वारिसान लगभग 26 वर्ष बाद जरिये नामा0 स0 800 दिनांक 10.08.2017 को गैर खातेदारी से खातेदारी की गई है। उक्त ख.न. के पूर्व आवंटी को जहा सुपुर्दगीनामा में नक्शा व भू सुधार तथा वर्तमान लटटाशीट तीनो में अलग-अलग है एवं तीनो का मिलान नहीं हो रहे है। वादी का जहॉ कब्जा है उसके एक तरफ सडक जोधपुरिया बनस्थली सडक व तीन और पडत भूमि है जो चरागाह के काम आ रही है जिसमें वादी तरमीम चाहता है। भू0अभि0निरीक्षक वृत बनस्थली एवं पटवारी हल्का छोरिया की जॉच रिपोर्ट के मुताबिक सुपुर्दगीनामे नक्शा शीट भू-सुधार, पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा शीट में भिनन्नता है एवं जॉच रिपोर्ट में ख.न. 320/1 एवं ख.न. 320 मे से किये गये आवंटनो में से ख.न. 320/12 की तरमीम पूर्व में होना बताया गया है। अतः प्रकरण दर्ज कर पूर्व में की गई तरमीमे निरस्त करने के पश्चात ही वादी भूमि की कब्जे अनुसार तरमीम करने के आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

तहसीलदार एवं पटवारी हल्का छोरिया की रिपोट जो पत्रावली में शामिल है। उभयपक्ष की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूकि उक्त प्रकरण DILRMP Program के अन्तर्गत है। जिसमे राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर महोदय टोक के आदेश कमांक भू0अ0/6/एफ ( ) डीआईएलआरएमपी/मैप डी/ 2018/923-26 दिनांक 14.02.2019 एवं कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाई के पत्रांक / डीआईएलआरएमपी/2019/223 दिनांक 15.02.2019 द्वारा यदि कोई विवाद नहीं है तो मौका अनुसार तरमीम करने के आदेश पूर्व में दिये गये है।

अतः तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी ख0न0 320/12 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम जगतपुरा, पटवार हल्का छोरिया की नियमानुसार तरमीम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड करें।

यह निर्णय आजं दिनांक 26.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned with CamScanner